(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:— 12/2022 विविध (251 क)
पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः— 26.06.2024

1. किशन पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
2. रामकिशोर पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
3. बजरंग पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
4. रामकल्याण पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
6. रामसहाय पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
7. मोटाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
8. रामकिशोर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
9. अर्जुनलाल पुत्र भॅवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
10. आरती पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
11. आशाराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
12. कैलाश पुत्र भॅवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
13. कैलाशी देवी पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
14. खुशीराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

लगातार.................2

15. नानूलाल पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
16. भूरी देवी पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
17. राजाराम पुत्र भॅवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
18. रामपाल पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
19. श्रवणी देवी पत्नी भॅवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
20. सुमित्रा पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
21. सूरजकरण पुत्र भॅवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
22. सोहनी देवी पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर। हाल निवासी भूराली, तहसील पीपलू जिला टोंक राज.
23. सूजाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
24. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
25. गणपत सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
26. कॅवल कॅवर पत्नी ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
27. जमना देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम मांदी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
28. तहसीलदार फागी तहसील कार्यालय फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:— श्री दौलतराम जाट वकील प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

प्रार्थना—पत्र राजस्थान अभिधृति की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्र

निर्णय दिनांक:— 26.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अराजी खाता सं. 72 के आराजी खसरा नम्बर 460/2 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं. 463/2 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खतौनी सं. 100 ख0नं0 463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खतौनी

लगातार.......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दू.

171 के आराजी खसरा नं. 464 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खतौनी सं. 181 के आराजी खसरा नं. 452 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.0506 हैक्टेयर खतौनी सं. 179 का खसरा नं. 456 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खतौनी सं. 100 का आराजी खसरा नं. 460/1 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खतौनी सं. 271 का आराजी खसरा नं. 461 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खतौनी सं. 221 का आराजी खसरा नं. 459 रकबा 0.3161 हैक्टेयर वाके ग्राम मॉदी पटवार हल्का मॉदी, भू अभि. नि. क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर राज.। प्रार्थीगण की आराजी भूमि खाता सं. 179 आराजी खसरा नं. 454 रकबा 0.0379 हेक्टेयर व खसरा नं. 456 रकबा 0.379 भूमि वाके ग्राम मॉदी पटवार हल्का मॉदी, भू अभि क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर से उत्तर दिशा में आम रास्ता सी.सी. रोड खसरा नम्बर 466 गुजरता है। जिस पर आने जाने के मार्ग के लिये खसरा नम्बर 460/2 463/2, 463/1, 464, 452, 465, 456, 460/1, 461, 459 की भूमि में रास्तें खातेदारी में आने जाने के लिए आवश्यकता है। जिसे नक्शा ट्रेस में मार्क ए बी सी डी बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण की खातेदारी उत्तर दिशा की ओर आम रास्ता सी.सी. सडक खसरा नम्बर 460/2, 463/2, 463/1, 464, 452, 465, 456, 460/1, 461, 459 में से होकर सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है। जो प्रतिपक्षी जोकि भूमि धारक है, जो राजकीय भूमि धारित करता है, में होकर प्रार्थीगण की खातेदारी में जोत हेतु जाने आने के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं खुलता है। चारों तरफ कोई नियमित मार्ग नहीं है। आज से पूर्व कोई कहीं पर भी जोत हेतु आ जा सकता था लेकिन भूमि धारक के अधिनस्थ ने जोत के नियमित रास्ते (मार्ग) पर आने जाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थीगण की खातेदारी जोत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से एवं मार्क ए बी सी डी से सुविधा के लिये दर्शाया गया है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार (राजस्थान सरकार) को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तय फरमाये प्रार्थी अदा करने को तैयार है। उपरोक्त प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार फागी के खसरा नम्बर 460/2, 463/2, 463/1, 464, 452, 465, 456, 460/1, 461, 459 के खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ता बाद जॉच प्रदान किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान व आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को सुनवाई का एवं प्रकरण का निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.................4

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 27 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 27 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अप्रार्थी सं० 28 उपतहसीलदार नीमेडा से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /भू.अ./24/1442 दिनांक 26.06.2024 के द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो शामिल मिसल की गई। उपतहसीलदार नीमेडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया की ग्राम मांदी के उक्त विवादित आराजी के उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा उभय पक्षकारान उपस्थित आये। आराजी ख0नं0 454 के मौके पर भू0 अभिलेख निरीक्षक मय पटवारी पहुँचे। मौका मुआयना करने के पश्चात पाया कि इस खसरे के पास से ख0नं0 466 कटाणी रास्ता है। ख0नं0 466 से 454 पर पहुंच का रास्ता ख0नं0 465 व 464 की उभयनिष्ठ भुजा ख0नं0 452 व 463/1 की उभयनिष्ठ भुजा व ख0नं0 463/2 की पश्चिमी भुजा के लगवा रास्ता दिया जा सकता है जो कि सबसे निकटतम मार्ग होगा। उपस्थित उभय पक्षकरान के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अंकित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र 251 (क) को स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 179 के खसरा नंबर 454 वाके ग्राम मांदी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु उक्त हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मांदी के खाता सं. 72 में प्रार्थीगण 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी सं. 100 में अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी 171 में अप्रार्थी संख्या 07 व 08 दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी सं. 181 में अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 22 दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी सं. 179 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड है। खतौनी सं. 271 में अप्रार्थी संख्या 23 दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी सं. 221 में अप्रार्थी संख्या 12, 26, 27 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। उपतहसीलदार नीमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोग के लिए किसी अन्य खातेदार की जीत में से भूमिगत पाईपलाइन बिछाना चाहता है

लगातार................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है– अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किये जाने पर ही नवीन रास्ता कायम किया जावे। उपतहसीलदार नीमेडा ने अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि ख0नं0 466 से 454 पर पहुंच का रास्ता ख0नं0 465 व 464 की उभयनिष्ठ भुजा ख0नं0 452 व 463/1 की उभयनिष्ठ भुजा व ख0नं0 463/2की पश्चिमी भुजा के लगवा रास्ता दिया जा सकता है जो कि सबसे निकटतम मार्ग होगा तथा संलग्न नजरी नक्शानुसार ख0नं0 466 आम रास्ता है एवं प्रार्थीगण को अपने खेत पर पहुंच ख0नं0 464, 463/1, 463/2 में से रास्ता सीधा व सर्वाधिक निकट होना प्रतीत होता है। न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) स्वीकार किया जाकर संलग्न नजरी नक्शेनुसार डी०एल०सी० दर का दो गुना भुगतान प्रार्थीगण द्वारा खातेदारान को अदा किये जाने पर 13 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के तहसीलदार फागी को दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि भुगतान की रसीद से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/6/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू